



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 21

1 ज्येष्ठ 1941 (श०)
पटना, बुधवार, —
22 मई 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि।	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

15 मई 2019

सं० 15/ए 6-02/2008(अंश)-1093—श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रभारी अध्यक्ष-सह-निदेशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्-7 पटना एवं कार्यकारी निदेशक-सह-सचिव, बिहार अंगिका अकादमी, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार अंगिका अकादमी, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष-सह-निदेशक के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी 2019

सं० 8/पी01-01/2018-625—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नलिखित सहायक अभियंता (असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	सहायक अभियंता का नाम/गृह जिला/आई०डी०	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम/प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ओम प्रकाश समस्तीपुर/जे०-7488	पदस्थापन की प्रतीक्षा में (जल संसाधन विभाग, मुख्यालय)	सहायक अभियंता, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना	बाह्य विभाग में सेवा प्रदत्त	
2.	श्री राजीव कुमार मुंगेर/5429	पदस्थापन की प्रतीक्षा में (जल संसाधन विभाग, मुख्यालय)	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर (बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत)	मुजफ्फरपुर	
3.	श्री मनीष रंजन शेखपुरा/5372	पदस्थापन की प्रतीक्षा में (जल संसाधन विभाग, मुख्यालय)	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल-3, सूर्यगढ़ा शिविर-मुंगेर (गंगा पम्प नहर प्रमंडल, मुंगेर के अंतर्गत)	भागलपुर	

2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

3. सभी संबंधित पदाधिकारी अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन ई-मेल पता-undersecretary2.wrd@gmail.com के माध्यम से मुख्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित मुख्य अभियंता/नियंत्री पदाधिकारी नव पदस्थापित सहायक अभियंताओं का प्रभार अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से एक पक्ष के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक प्रधान, अवर सचिव (प्रबंधन)।

वित्त विभाग

अधिसूचना

9 मई 2019

सं० 1/स्था०(ले०से०)—07/2016-4185/वि०—बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी श्री अमरनाथ पाण्डेय, सहायक कोषागार पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) (कोटि क्रमांक-84) को दिनांक 05.05.2018 से एवं श्री मनोज कुमार सहाय, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सहरसा (कोटि क्रमांक-90) को दिनांक 31.03.2018 से सेवा संपुष्ट किया जाता है।

2. वित्त विभाग के ज्ञापांक-3623 दिनांक 31.03.2010 के आलोक में दिनांक 01.01.2006 अथवा चार वर्षों की सेवा (संपुष्टि सहित) जो भी बाद हो, से उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों को पी.वी.-3 एवं ग्रेड पे 5400/- रु० (लेवल-9) अनुमान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वित्त विभाग

शुद्धि-पत्र

17 मई 2019

सं० 01/स्था०(ले०से०)-06/2019-4333/वि०-वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-01/स्था०(ले०से०)-06/2019-4051 दिनांक 06.05.2019 में अंकित (अपुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-09) के स्थान पर (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-09) एवं क्रमांक-33 में अंकित श्री अरूण कुमार, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, वित्त विभाग का योगदान तिथि 28.02.2019 पूर्वाह्न के स्थान पर 18.02.2019 पूर्वाह्न पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव।

जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

19 दिसम्बर 2018

सं० 8/पी०1-02/2018-4699-विभागीय अधिसूचना सं०-08/पी०1-01-01/2018-4632 दिनांक 12.12.2018 में निहित सूची में कतिपय त्रुटि दृष्टिगत होने के फलस्वरूप उक्त में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है :-

1. सूची क्रमांक-23 के स्तम्भ-2 में अंकित अखिलेश कुमार के स्थान पर अखिलेश कुमार पढ़ा जाय।
 2. सूची क्रमांक-47 के स्तम्भ-3 में अंकित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, बड़हिया के स्थान पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, बड़हरिया पढ़ा जाय।
 3. सूची क्रमांक-96 के स्तम्भ-4 में अंकित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-4, मदनपुर, शिविर-औरंगाबाद (उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, मदनपुर, शिविर-औरंगाबाद) के स्थान पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-5, मदनपुर, शिविर-औरंगाबाद (उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद) पढ़ा जाय।
 4. सूची क्रमांक-118 के स्तम्भ-3 में अंकित प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, नवीनगर के स्थान पर प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर पढ़ा जाय।
2. विभागीय अधिसूचना सं०-08/पी०1-01-01/2018-4632 दिनांक-12.12.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय उक्त अधिसूचना की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी।

आदेश से,
दीपक प्रधान, अवर सचिव (प्रबंधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 552—नाहिद परवीन पिता स्व. रजी अहमद निवासी गरहुआटोला सुलतानगंज पटना-6 घोषित करती हूँ कि मेरा पुकारू नाम किश्वर नाहिद तथा सही नाम नाहिद परवीन है। शपथ पत्र सं. 6769 दि. 01.04.2019।

नाहिद परवीन।

No. 552--I, NAHID PARWEEN D/o late Razi Ahmad R/o Garhuatola, Sultanganj Patna-6 declare that my Alias name Kishwar Nahid & Actual Name Nahid Parween vide Affidavit no.6769 dated 01.04.2019.

NAHID PARWEEN.

No. 553--I PRITU, D/O Digvijoy Narayan Singh, Aged About-29 years, R/O-Mohalla-Sri Rampuri, Bhagwanpur, Business Management College, P.S.-Sadar, Dist.-Muzaffarpur. I Declare that from now I shall be known as PRITU SINGH. Affidavit No. 32739/ 15.11.18.

PRITU.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>